कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021 दिनांकःयथा हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
समस्त संभाग।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक)
समस्त जिले।

विषयः– अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के सम्बन्ध में।
संदर्भः– इस कार्यालय का समसख्यंक पत्र दिनांक 14.11.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पत्र में प्रदत्त दिशा–निर्देशों, वर्णित कार्यक्रम एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसरण में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में आदेशित किया जाता है किः–

1. समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 के क्रम में कतिपय जिलों में अधिशेष समस्त अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा) का समायोजन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नहीं हो पाने के कारण प्रारंभिक शिक्षा को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया गया है। ऐसा ध्यान में लाया गया है कि इन अधिशेष कार्मिकों का समायोजन पदों के अभाव में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे जिलों में अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा) को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में भी शासन के परिपत्र क्रमांक प.5(8)प्राशि/2016 दिनांक 28.05.2019 के अनुसार अध्यापक लेवल–1 माना जाकर समायोजित किया जाये। इसके उपरान्त भी यदि माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा) के कार्मिक अधिशेष रहते है तो अधिशेष कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को समायोजन हेतु सुपुर्द किया जाये।
2. यदि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पद रिक्त नहीं रहता है तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त होंने तक अस्थाई रूप से शहरी क्षेत्र में भी आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी एक भी पद रिक्त नहीं होने के स्थिति में, शहरी क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है।
3. अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 के बिन्दु संख्या–III सामान्य निर्देश के उपबिन्दु 16 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन में पदस्थापन हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया नहीं अपनायी जानी है।

शेष शर्ते समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 के अनुसार यथावत रहेंगी।

(सीताराम जाट)
IAS
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि–

1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6- शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
8- संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय हाजा।
9- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :06-12-2024 05:09:55